11/06/15 पत्रावली राजस्व लोक अदालत / सिविल अदालत में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/अर्थी के निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए वाद आगे चलाना नहीं चाहते है अर्थी/प्रार्थी की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत बनासिला द्वारा की गई। अतः प्रार्थी/अर्थी के निवेदन पर वाद अर्थी नहीं चलाने पर, खारिज किये जाने से आदेश है वाद है) अतिरिक्त कोलम शुल्क हमें नहीं से मुक्त की

वाद चलाना नहीं चाहता हूँ
प्रहलाद प्रसाद

पहचान की
सरपंच
ग्राम पंचायत बनासिला
पं.स.दौतारामगढ़(सीकर)

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ